

आज दिनांक 06.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक बखिरा श्री रोहित प्रसाद के निर्देशन के में आज दिनांक 06.03.2021 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1- मोहम्मद टेनी उर्फ मिर्चाहे पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज 2- अरमान पुत्र मुमताज निवासीगण दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

- 1- मोहम्मद टेनी उर्फ मिर्चाहे पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।
- 2- अरमान पुत्र मुमताज निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-****मोहम्मद टेनी उर्फ मिर्चाहे का अपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 167/2020 धारा 3/5ए/8 गो0व0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 2-मु0अ0सं0 117/19 धारा 147/149/307 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 3- मु0अ0सं0 116/19 धारा 3/5ए/8 गो0व0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 4- मु0अ0सं0 775/16 धारा 3/5/8 गो0व0नि0अधि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 5- मु0अ0सं0 666/16 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 6- मु0अ0सं0 376/16 धारा 3/5ए/8 गो0व0नि0अधि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 7- मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।

## अरमान पुत्र मुमताज का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 167/2020 धारा 3/5ए/8 गो0व0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 2- मु0अ0सं0 307/19 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 3- मु0अ0सं0 35/19 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 4- मु0अ0सं0 116/19 धारा 3/5ए/8 गो0व0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 5- मु0अ0सं0 117/19 धारा 147/149/307 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 6- मु0अ0सं0 170/19 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 7-मु0अ0सं0 417/19 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
  - 8- मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-** उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 मंजीत वर्मा, का0 रोहित, आरक्षी सत्यप्रकाश, आरक्षी अर्जुन पाल, आरक्षी बलवन्त सिंह चौहान ।

## धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 19/21 धारा 363 / 366 /376 भा0द0वि0 व 3/4 पास्को एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता शकील बाबू पुत्र निसार निवासी चन्दनपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त शकील बाबू पुत्र निसार निवासी चन्दनपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 03.03.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 04.03.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा

व्यपहता को बरामद किया गया था तथा आज दिनांक 06.03.2021 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री बब्बन प्रसाद, उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 धर्मेन्द्र कुमार , म0का0 प्रियंका गौड़ ।

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली नगर द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3302 द्वारा लावारिश लडकी को परिजनो के किया गया सुपुर्द** – पीआरवी 3302 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कसैला से इवेन्ट संख्या 04743 से कालर ने लावारिश लडकी मिलने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 0 6 मिनट में पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से बच्ची को उसकी माँ के सुपुर्द किया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से लडकी के परिजनो को तलाश कर उसकी माँ के सुपुर्द किया गया तथा उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –का0 संघरतन, हो0चा0 अशोक कुमार ।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 42 वाहनो से 39500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 42 वाहनो से 39500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।